निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :— 14 / 22
दायरा दिनांक :— 23.02.2022
निर्णय दिनांक :— 14.5.22

उनवान

नरेन्द्र शर्मा पुत्र दीनदयाल जाति ब्राह्मण निवासी खैराली तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी खैराली तहसील व जिला बारां।
2. हरिश शर्मा पुत्र दीनदयाल जाति ब्राह्मण निवासी खैराली तहसील व जिला बारां।
3. कृष्णा पुत्री दीनदयाल पत्नी धनराज जाति ब्राह्मण निवासी शिवाजी कॉलोनी अंता जिला बारां
4. भाग्यलक्ष्मी पुत्री दीनदयाल पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी महावीर नगर थर्ड कोटा
5. संगीता पुत्री दीनदयाल पत्नी गिरिश जाति ब्राह्मण निवासी खाती कॉलोनी बारां
6. अनिता पुत्री दीनदयाल पत्नी गौरव शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मांगरोल दरवाजा बारां।
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर0टी0एक्ट
निर्णय दिनांक :— 14.5.22

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53,188, आर. टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। कि वाके ग्राम खैराली पटवार हल्का खैराली तहसील बारां की आराजी जमाबंदी सम्मत 2073—76 खाता संख्या नया 492 पुराना 148 की आराजी ख0नं0 1056 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1373 / 246 रकबा 0.97 है0, ख0नं0 1375 / 337 रकबा 0.54 है0, ख0नं0 1377 / 342 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 1379 [illegible] रकबा 0.06 है0, ख0नं0 918 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष

सदस्य
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

1.61 है0, ख0नं0 919 रकबा 1.62 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.66 कुल लगानी 64.11 रूप्ये स्थित है जिसे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उक्त आराजी पूर्व में प्रतिवादी कम 1 व गिर्राज प्रसाद के समान रूप से 1/2, 1/2 खातेदारी में थी जो दोनो भाईयो को अपने पिता मदनलाल पुत्र बिरधीलाल से विरासत में प्राप्त हुई है इस प्रकार उक्त आराजियात पेत्रिक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 का समान 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है प्रतिवादी कम 3 लगायत 6 को उनका हिस्सा शादी के समय नकद रूप से दे दिया था तथा तीन लगायत छः अपनी ससुराल में सुखपूर्वक, खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रही है इस प्रकार उक्त आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 का समान रूप से हिस्सा है तथा आपस में बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार वादी अपने 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है इस प्रकार पुश्तेनी सम्पत्ति होने के कारण वादी के अपने पिता प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी की आराजी वादपत्र की चरण कम 1 में वर्णित जन्म से अधिकार निहित होने के कारण अपना 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी कम 1 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 2 का 1/3 हिस्से के खातेदार कृषक घोषित किये जाकर 1/3, 1/3 के हिसाब से बंटवारा किया जाकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने एवं वादी अपने पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवं नालिशी है।

सम्मत 2073–76 में खाता संख्या नया 148 पुराना 137 की आराजी कुल किता 12 कुल रकबा 11.11 है0 में प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्सा व मृतक गिर्राज प्रसाद के वारिसान ईश्वर प्रसाद, नरेन्द्र कुमार भगवान स्वरूप, मुरली मनोहर, राजेश, का समान रूप से 1/10, 1/10 कुल गिर्राजप्रसाद के वारिसान का 1/2 हिस्सा निहित था जो बंटवारा से खाता पृथक–पृथक होने पर वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी नामान्तकरण संख्या 1517 दिनांक 03.11.2021 से वादी को प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त आराजी वादी को अपने पिता मदनलाल व मदनलाल को अपने पिता बिरधीलाल से प्राप्त हुई है जो पुश्तेनी सम्पत्ति होने के कारण वादी के हक हकूक होने के कारण वादी अपने 1/3 हिस्से में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने हिस्से का बंटवारा करवाकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने पृथक लगान निर्धारित कराने एवं खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण से कई मर्तबा बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने एवं बंटवारा कराकर खाता पृथक करवाने हेतु तहसील में चलने का निवेदन किया गया किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा टालमटूल की जाती रही अंतिम रूप से दि[illegible]01.2022 मकरसंक्रान्ति के दिन स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष

सदस्य

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

Scanned with CamScanner

रूप से इंकार करने पर वादी द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क किया गया तथा राज0 सरकार के प्रतिनिधी के रूप में जिला कलेक्टर महोदय बारां को दिनांक 23.02.2022 को 80 सीपीसी का नोटिस दिलाये जाने पर वादकारण दिनांक 14.01.2022 बमुकाम खैराली एवं धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये जाने पर दिनांक 23.02.2022 को बमुकाम बारां में उत्पन्न हुआ है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खैराली सम्मत 2073—76 खाता संख्या 148, नकल जमाबंदी ग्राम खैराली सम्मत 2073—76 खाता संख्या 492, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038—57 ग्राम खैराली, नकल जमाबन्दी ग्राम खैराली सम्वत 2025—28 खाता 129 पेश की गई।

अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा जर्ये अभिभाषक राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा पेश किया कि वाके ग्राम खैराली की आराजी ख0नं0 1056 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1373/246 रकबा 0.97 है0, ख0नं0 1375/337 रकबा 0.54 है0, ख0नं0 1377/342 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 1379/566 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 918 रकबा 1.61 है0, ख0नं0 919 रकबा 1.62 है0 ख0नं0 को प्रतिवादी कम 1 की पुश्तेनी जायदाद है जिसमें आपसी बंटवारे अनुसार वादी का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी कम 1 का 1/3 व प्रतिवादी कम 2 का 1/3 हिस्सा किया हुआ है प्रतिवादी कम 3 लगायत 6 की शादी हो चुकी है जो अपनी अपनी ससुराल में जीवन व्यतीत कर रही है वह अपने पिता की सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना हिस्सा अपने भाईयो व पिता के लिए त्याग रही है इस प्रकार राजीनामा अनुसार कुल किता 7 रकबा 5.56 है0 में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 का समान रूप से 1/3, 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किय जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम खैराली सम्वत 2073—76 खाता सं0 492 में प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम खैराली सम्वत 2073—76 खाता सं0 148 में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम खैराली सम्वत 2025—28 खाता सं0 129 में मदनलाल पुत्र बिरधीलाल, नन्दकिशोर पुत्र मदनलाल का नाम दर्ज रिकार्ड था इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी पेत्रक आराजी है जिससे वादी गण अपना हिस्सा अलग दर्ज करवाना चाहते है वादी एवं प्रतिवादी गण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर जर्ये अभिभाषक राजीनामा प्रस्तुत किया गया। बहिने अपना हिस्सा त्याग कर अपने भाईयों को देना चाहती है [illegible] पक्षकारान निर्णय चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

जिससे वादीगण एवं प्रतिवादी गण को कोई आपत्ति नहीं है वादी गण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:–क्रियात्मक आदेश:–

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खैराली ख0नं0 1056 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1373/246 रकबा 0.97 है0, ख0नं0 1375/337 रकबा 0.54 है0, ख0नं0 1377/342 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 1379/566 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 918 रकबा 1.61 है0, ख0नं0 919 रकबा 1.62 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.66 है0 में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है। कि विवादित आराजी का पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाये। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्रारंभिक डिक्री

[सं]ख्या 14/22	धारा अन्तर्गत 88,89,53,188 आर.टी.एक्ट	निर्णय दिनांक : 14.5.22
[सम]क्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री ओमप्रकाश मेहता II	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

नरेन्द्र शर्मा पुत्र दीनदयाल जाति ब्राह्मण निवारी खैराली तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी खैराली तहसील व जिला बारां।
2. हरिश शर्मा पुत्र दीनदयाल जाति ब्राह्मण निवासी खैराली तहसील व जिला बारां।
3. कृष्णा पुत्री दीनदयाल पत्नी धनराज जाति ब्राह्मण निवासी शिवाजी कॉलोनी अंता जिला बारां
4. भाग्यलक्ष्मी पुत्री दीनदयाल पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी महावीर नगर थर्ड कोटा
5. संगीता पुत्री दीनदयाल पत्नी गिरिश जाति ब्राह्मण निवासी खाती कॉलोनी बारां
6. अनिता पुत्री दीनदयाल पत्नी गौरव शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मांगरोल दरवाजा बारां।
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:

वादी का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खैराली ख0नं0 1056 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1373/246 रकबा 0.97 है0, ख0नं0 1375/337 रकबा 0.54 है0, ख0नं0 1377/342 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 1379/566 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 918 रकबा 1.61 है0, ख0नं0 919 रकबा 1.62 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.66 है0 में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है। कि विवादित आराजी का पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाये।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 14.5.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

क्र.सं.	व्यय मुद्दे	व्ययानुतोष वादी	व्ययानुतोष प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

संशोधित प्राथमिक डिक्री

संख्या 14/22	धारा अन्तर्गत 88,89,53,188 आर.टी.एक्ट	निर्णय दिनांक : **04.07.2022**
समक्ष : **श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री ओमप्रकाश मेहता II	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

नरेन्द्र शर्मा पुत्र दीनदयाल जाति ब्राह्मण निवासी खैराली तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी खैराली तहसील व जिला बारां।
2. हरिश शर्मा पुत्र दीनदयाल जाति ब्राह्मण निवासी खैराली तहसील व जिला बारां।
3. कृष्णा पुत्री दीनदयाल पत्नी धनराज जाति ब्राह्मण निवासी शिवाजी कॉलोनी अंता जिला बारां
4. भाग्यलक्ष्मी पुत्री दीनदयाल पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी महावीर नगर थर्ड कोटा
5. संगीता पुत्री दीनदयाल पत्नी गिरिश जाति ब्राह्मण निवासी खाती कॉलोनी बारां
6. अनिता पुत्री दीनदयाल पत्नी गौरव शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मांगरोल दरवाजा बारां।
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खैराली ख0नं0 1056 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1373/246 रकबा 0.97 है0, ख0नं0 1375/337 रकबा 0.54 है0, ख0नं0 1377/342 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 1379/566 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 918 रकबा 1.61 है0, ख0नं0 919 रकबा 1.62 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.66 है0 में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है। कि विवादित आराजी का पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाये।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक, 04.07.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

व्ययानुतोष			
		वादी	प्रतिवादी
क्र.सं.	व्यय मद		
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...लय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

अन्तिम डिक्री

...संख्या 14/22	धारा अंतर्गत 88,89,53,188 RTA	निर्णय दिनांक 13.8.22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओम प्रकाश मेहता II		अभिभाषक प्रतिवादी श्री ओम प्रकाश [illegible]

वाद शीर्षक

नरेन्द्र शर्मा पुत्र दीनदयाल जाति ब्राह्मण निवासी खेराली तह० बारां

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी खेराली तह० बारां
2. हरीश शर्मा पुत्र दीनदयाल जाति ब्राह्मण निवासी खेराली तह० बारां
3. कृष्णा पुत्री दीनदयाल पत्नी धनराज जाति ब्राह्मण निवासी शिवाजी कालोनी अन्ता जि० बारां
4. भाग्यलक्ष्मी पुत्री दीनदयाल पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी महावीर कालोनी कोटा
5. संगीता पुत्री दीनदयाल पत्नी गिरिश जाति ब्राह्मण नि० स्वामी कालोनी बारां
6. अमिता पुत्री दीनदयाल पत्नी गौरव शर्मा जाति ब्राह्मण नि० मांगरोल दरवाजा बारां
7. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम खेराली तह० बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है

नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	किस्म
1. दीनदयाल पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण ना० रहन - BOB शाखा बारां	1056	0.32	–
	1373/246	0.50	चुर्र
	1377/342	0.44	–
	1375/337	0.54	–
	1379/566	0.06	–
	किता 5	1.86 हे०	
2. नरेन्द्र पुत्र दीनदयाल जाति ब्राह्मण ना० रहन - BOB शाखा बारां	919	1.62	–
	918	0.23	ऊसर
	किता 2	1.85 हे०	

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 13.8.22 को निर्गत किया गया।

अध्यक्ष

सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला [illegible]

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वादपत्र / लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		

Scanned with CamScanner